

अंचल अधिकारी का कार्यालय, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम

पत्रांक..... २२५६

दिनांक..... २७.०८.२००७

यह जिससे संबंधित है।

आवेदक दयाल बिल्डर्स के प्रोपराइटर सुरेन्द्र पाल सिंह, पिता गुरुदयाल सिंह, निवासी - गौरीशंकर रोड, जुगसलाई, जमशेदपुर, द्वारा मौजा छोटागोविन्दपुर, थाना नं०-1194, खाता नं०-1, प्लॉट नं०-917, 918, 919, 920, 741 तथा 909, रकवा क्रमशः 0.24, 0.05, 0.03, 0.03, 0.11.5, 0.16.5, कुल रकवा 0.63 एकड़ तथा खाता नं० - 12, प्लॉट नं० - 870, 743, रकवा क्रमशः 0.21, 0.17.5, कुल रकवा 0.38.5 एकड़, खाता नं० - 14, प्लॉट नं० - 745, 746, रकवा क्रमशः 0.09, 0.01, कुल रकवा 0.10 एकड़ तथा खाता नं०-16, प्लॉट नं० - 735, 736, 737, 742, रकवा क्रमशः 0.11.94, 0.07.50, 0.06.2, 0.31.0, कुल रकवा 56.64 डी० (कुल रकवा 1.67.14 एकड़) भूमि पर फ्लैट बनाने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है।

उक्त आवेदन पत्र पर जाँचोपरान्त राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि उक्त भूमि रैयती है जिसका नामान्तरण हुआ है। यह पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत है।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-21 के अन्तर्गत पंचायत क्षेत्र में रैयती भूमि पर रैयत द्वारा मकान/तालाब/कुँआ आदि बनाने का प्रावधान है। डिप बोरिंग के लिए उपायुक्त/कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से अनुमति प्राप्त करना होगा।

अतः राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड के अनुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा फ्लैट निर्माण किए जाने पर तड़ित चालक यंत्र की व्यवस्था रखेंगे एवं संक्षम अभियंता/प्राधिकार की देखरेख में मकान/भवन/हुपलैक्स/फ्लैट निर्माण किये जाने पर अंचल कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।



अंचल अधिकारी

जमशेदपुर
२७/८

अंचल अधिकारी का कार्यालय, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम

पत्रांक 2670

दिनांक 16. X. 07

यह जिससे संबंधित है।

आवेदक दयाल बिल्डर्स के प्रोपराईटर सुरेन्द्र पाल सिंह, पिता गुरुदयाल सिंह, निवासी - गौरीशंकर रोड, जुगसलाई जमशेदपुर, द्वारा मौजा छोटागोविन्दपुर, थाना नं- 1194, खाता नं-1, प्लॉट नं-744, 741, 909, रकवा कमशः 43.00, 27.50, 7.50 डी० 1194, खाता नं-12, प्लॉट नं-740, 743, रकवा कमशः 14.00, 16.50, खाता नं-14, प्लॉट नं-745, 746, रकवा कमशः 8.50, 67.50 खाता नं-16, प्लॉट नं-735, 736, 737, 869, रकवा कमशः 13.06, 2.50, 23.00, तथा 74.00 डी० कुल रकवा 297.06 या 2.97 एकड़ (दो एकड़ सन्तानबे डी०) भूमि पर फ्लैट बनाने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है।

उक्त आवेदन पत्र पर जाँचोपरान्त राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि उक्त भूमि रैयती है जिसका नामान्तरण हुआ है। यह पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत है।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-21 के अन्तर्गत पंचायत क्षेत्र में रैयती भूमि पर रैयत द्वारा मकान/तालाब/कुँआ आदि बनाने का प्रावधान है। डिप बोरिंग के लिए उपायुक्त/कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से अनुमति प्राप्त करना होगा।

अतः राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड के अनुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा फ्लैट निर्माण किए जाने पर तड़ित चालक यंत्र की व्यवस्था रखेंगे एवं संक्षम अभियंता/प्राधिकार की देखरेख में मकान/भवन/डुप्लैक्स फ्लैट निर्माण किये जाने पर अंचल कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।



अंचल अधिकारी

जमशेदपुर

15/10/07

अंचल अधिकारी का कार्यालय, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम

पत्रांक 2872

दिनांक 07.11.07

यह जिससे संवंचित है।

आवेदक दयाल विल्डर्स के प्रोपराइटर सुरेन्द्र पाल सिंह, पिता गुरुदयाल सिंह, निवासी - गौरीशंकर रोड, जुगसलाई जमशेदपुर, द्वारा मीजा छोटानागपुर, आना नं०- 1194, खाता नं०-1, प्लॉट नं०-744, 868 रकवा कमशः 0.18 तथा 0.81 कुल रकवा 0.99 एकड़, खाता नं० - 4, प्लॉट नं० - 906, कुल रकवा कमशः 0.25 एकड़, खाता नं०- 12, प्लॉट नं०- 910, 916, रकवा कमशः 0.35 तथा 0.32, कुल रकवा 0.67 एकड़, खाता नं० - 13, प्लॉट नं० - 907, कुल रकवा 0.12 एकड़, खाता नं० - 55, प्लॉट नं० - 908, कुल रकवा 0.08 एकड़, खाता नं०-60, प्लॉट नं० 866, कुल रकवा 0.02 एकड़ (सभी खाता के कुल रकवा 2.13 एकड़) भूमि पर फ्लैट बनाने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है।

उक्त आवेदन पत्र पर जाँचोपरान्त राजस्व कर्मचारी/अंचल निशीकर द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि उक्त भूमि रैयती है जिसका नामान्तरण हुआ है। यह पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत है।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-21 के अन्तर्गत पंचायत क्षेत्र में रैयती भूमि पर रैयत द्वारा मकान/तालाव/कुँआ आदि बनाने का प्रावधान है। डिप योरिंग के लिए उपायुक्त/कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से अनुमति प्राप्त करना होगा।

अतः राष्ट्रीय विलिंग कोड के अनुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा फ्लैट निर्माण किए जाने पर तड़ित चालक यंत्र की व्यवस्था रखेंगे एवं संक्षम अभियंता/प्राधिकार की देखरेख में मकान/भवन/डुप्लैक्स फ्लैट निर्माण किये जाने पर अंचल कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।



07.11.07
अंचल अधिकारी
जमशेदपुर
नाम
नाम